

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि०  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5


क्रमांक: ए.1(4)94 / 89 पार्ट-V  
दिनांक: २५, मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक ए.1(4)94 / 89 पार्ट-V दिनांक 16.02.2022 के द्वारा रीको में आरजीएचएस लागू किया जा चुका है। समस्त सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्होंने आरजीएचएस का विकल्प प्रस्तुत किया है, को सूचित किया जाता है कि वह अपना कार्ड ई-मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर बनवाना सुनिश्चित करें।

आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन/कार्ड हेतु निगम द्वारा यू.बी.सी.एफ.एस. कमेटी रूम उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर दिनांक 28.03.2022 एवं 29.03.2022 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक एक कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यदि उक्त कार्ड बनवाने में कोई परेशानी है तो उक्त तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर आरजीएचएस कार्ड बनवा कर आरजीएचएस कार्ड की एक प्रति उपमहाप्रबन्धक (एचआरडी) व उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें। दिनांक 30.03.2022 तक आरजीएचएस कार्ड प्राप्त नहीं होने पर संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अन्य जिलों में स्थित सेवानिवृत्त कर्मचारी ईकार्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

  
(बिन्दु करुणाकर)  
सलाहकार (ए.एण्ड.एम.)

- प्रतिलिपि:
1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
  2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
  3. समस्त इकाई प्रभारी
  4. उप महाप्रबन्धक (एचआरडी)
  5. उप महाप्रबन्धक (आई. टी.)— उक्त आदेश को रीको वेबसाईट पर अपलोड करावें।
  6. प्रबन्धक (बिल्स)/ (एचआरडी)
  7. कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली
- को प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपरोक्त संबंध में सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।